## मध्य प्रदेष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड, भोपाल

विषय :— राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बारहवीं बैठक, दिनांक 30/03/2010 का कार्यवाही विवरण ।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 30/03/2010 को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—

- 1. <u>एजेण्डा क्रमांक 1</u> :— समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 27 / 10 / 2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।
- 2. <u>एजेण्डा क्रमांक 2</u> :- समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 27/10/2009 के पालन प्रतिवेदन से सदस्य – सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया ।
- 3. एजेण्डा क्रमांक 3(अ):— मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात विलंब से पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए —
- मेसर्स हाईटेक बटरफ्लॉय बाल्व्स इंडिया प्रा.िल. (विस्तार) औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर :- इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन—पत्र, शपथ—पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।
- II. मेसर्स पारले एग्रो प्रा.लि. (विस्तार) औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप :— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन के सन्दर्भ में, शपथ—पत्र एवं अन्य जानकारियों पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।

- मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, झाबुआ:— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत किए गए आवेदन, शपथ—पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, इकाई द्वारा विलम्ब से आवेदन करने के संबंध में प्रमुख कारण इकाई के प्रबन्धन में परिवर्तन के कारण आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करना बताया गया है, परन्तु इकाई के प्रबन्धन में परिवर्तन कब हुआ है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उक्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- मेसर्स बिलक्योर रेमेडीज प्रा.लि., इन्दौर :— इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन—पत्र, शपथ—पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।
- च्य मेसर्स शॉफ्ट मेडिकेप्स लि., देवास :— इकाई का योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन—पत्र, शपथ—पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।
- 4. एजेण्डा क्रमांक 3(ब) मेसर्स भास्कर वेंकटेष प्रोडक्ट्स प्रा.िल., खजूरी, भोपाल का मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—04 अन्तर्गत पंजीयन बावत् :— इकाई की योजनान्तर्गत पंजीयन आवेदन निरस्तीकरण के विरूद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत अपील पर, शासन के निर्णय दिनांक 05.11.2009 के सन्दर्भ में इकाई के द्वारा पंजीयन हेतु विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण में विचार किया गया।

समिति द्वारा इकाई के विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में शपथ—पत्र, महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल का प्रतिवेदन एवं इकाई द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।

- 5. एजेण्डा क्रमांक 3(स) मेसर्स कोच्छड़ ग्लास प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल का मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—04 अन्तर्गत पंजीयन बावत:— इकाई की योजनान्तर्गत पंजीयन आवेदन निरस्तीकरण के विरुद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत अपील पर शासन के निर्णय दिनांक 30.10.2009 के सन्दर्भ में इकाई के द्वारा पंजीयन हेतु विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में विचार किया गया। सिमित द्वारा इकाई के विलम्ब से आवेदन के संबंध में शपथ—पत्र, महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल का प्रतिवेदन तथा इकाई द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी एवं इकाई के पक्ष प्रस्तुति हेतु प्रस्तुत पत्र दिनांक 30.11.2009 व दिनांक 26.12.2009 पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।
- 6. एजेण्डा क्रमांक 3(द) मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलॉयज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—04 अन्तर्गत पंजीयन बावत्:— इकाई की योजनान्तर्गत पंजीयन आवेदन निरस्तीकरण के विरूद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत अपील पर, शासन के निर्णय दिनांक 04.03.2010 के सन्दर्भ में इकाई के द्वारा पंजीयन हेतु विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण में विचार किया गया।

समिति द्वारा इकाई के विलम्ब से आवेदन के संबंध में शपथ—पत्र, महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर का प्रतिवेदन एवं इकाई द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।

7. <u>एजेण्डा क्रमांक 3(इ)</u> — मेसर्स अमृत रिफाइण्ड प्रा.लि., मन्दसौर का मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—04 अन्तर्गत पंजीयन बावत् :— इकाई की योजनान्तर्गत पंजीयन आवेदन निरस्तीकरण के विरूद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत अपील पर, शासन के निर्णय दिनांक 06.03.2010 के सन्दर्भ में इकाई के द्वारा पंजीयन हेतु विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण में विचार किया गया।

समिति द्वारा इकाई के विलम्ब से आवेदन के संबंध में शपथ—पत्र, महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मंदसौर का प्रतिवेदन एवं इकाई द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।

8. एजेण्डा क्रमांक 3(फ) — मेसर्स बिण्डाल्स एण्ड विल्डाल्स इंजीनियरिंग प्रा.िल., मण्डीदीप जिला रायेसन का मध्यप्रदेष उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजना—04 अन्तर्गत पंजीयन बावत् :— इकाई की योजनान्तर्गत पंजीयन आवेदन निरस्तीकरण के विरुद्ध राज्य शासन को प्रस्तुत अपील पर, शासन के निर्णय दिनांक 08.03.2010 के सन्दर्भ में इकाई के द्वारा पंजीयन हेतु विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में गुण—दोषों के आधार पर प्रकरण में विचार किया गया।

समिति द्वारा इकाई के विलम्ब से आवेदन के संबंध में घोषणा—पत्र, महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप का प्रतिवेदन एवं इकाई द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अविध की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।

- 9. एजेण्डा क्रमांक 3(ज) उत्पादन प्रारम्भ करने के पष्चात् योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ विलम्ब अविध को छोड़कर देने बावत् :— एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार उपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना की कंडिका 8.5 में निम्नानुसार प्रावधान शामिल करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावे "ऐसे प्रकरण में उत्पादन प्रारंभ करने के बाद जितने विलम्ब से आवेदन प्राप्त होता है, उस विलम्ब अविध पर योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ नही देने के संबंध में समिति निर्णय ले सकेगी।"
- 10. एजेण्डा क्रमांक 4:— मेसर्स यूनिवर्सल केबिल्स लि., बिरला विकास, सतना का प्रथम क्लेम प्रकरण वर्ष 2007—08 का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण स्थापित इकाई में तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित है। इस परियोजना में ग्स्य न्दकमतहतवनदक इसम का निर्माण टब्ट ज्मबीदवसवहल से किया जाता है।

कम्पनी की उल्लेखित तकनीकी उन्नयन परियोजना, को शीर्ष स्तरीय उद्योग निवेष संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 18.01.2006 में सुविधाओं का पैकेज स्वीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत इकाई को मेगा प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता व उद्योग निवेष सवंर्धन सहायता योजना में दी गई स्वीकृति तथा शासन आदेष दिनांक 28.02.2006 के सन्दर्भ में इकाई व मध्यप्रदेष ट्रायफेक के मध्य किये गये अनुबंध को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के प्रकरण पर विचार किया गया।

महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए तकनीकी उन्नयन के अन्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 6275.23 लाख योजनान्तर्गत मान्य की गई है। तकनीकी उन्नयन के पूर्व, इकाई का स्थाई पूंजी निवेष रूपये 11902.19 लाख अवगत कराया गया है। वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राषि रूपये 3,49,25,151.00 का 75: राषि रूपये 2,61,93,863.00 की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तकनीकी उन्नयन से उत्पादित उत्पाद हेतु योजनान्तर्गत सहायता दी जावे, किन्तु तकनीकी उन्नयन के पूर्व इकाई के स्थिर पूंजी निवेष का 50: स्थिर पूंजी निवेष (तकनीकी उन्नयन हेतु) जिस दिनांक को होगा, उसी दिनांक से इकाई को योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ दिया जाए व इकाई की पात्रता अविध की गणना इकाई के तकनीकी उन्नयन हेतु उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 29.03.2007 से की जाए।

11. एजेण्डा क्रमांक 5 :— मेसर्स वर्धमान यार्नस, औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप का क्लेम प्रकरण वर्ष 2007—08 प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 15.05.2007 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 21098.33 लाख मान्य की गई। वर्ष 2007—08 में उत्पादन हेतु जमा कर राषि रूपये 80,33,344.00 का 75: रूपये 60,25,006.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राषि रूपये 80,33,344.00 का 75: रूपये 60,25,006.00 (रूपये साठ लाख पच्चीस हजार छ: मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

12. एजेण्डा क्रमांक 6 :- मेसर्स पॉलीमर पैकेजिंग (यूनिट ऑफ एडमेनम पैकेजिंग लि.), पीथमपुर का प्रथम क्लेम प्रकरण वर्ष 2008—09 प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 05.03.2009 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 15,89,62,128.00 मान्य की गई। वर्ष 2008—09 में उत्पादन हेतु जमा कर राषि रूपये 1,91,991.00 का 75: रूपये 1,43,993.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु जमा कर राषि रूपये 1,91,991.00 का 75ः रूपये 1,43,993.00 (रूपये एक लाख त्रितालीस हजार नौ सौ तैरानवे मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

13. एजेण्डा क्रमांक 7 :— मेसर्स पी.ई.बी. स्टील लॉयड इंडिया लि., ग्रोथ सेन्टर पीथमपुर का प्रथम क्लेम प्रकरण वर्ष 2007—08 प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.08.2007 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष रूपये 2437.01 लाख मान्य की गई। वर्ष 2007—08 में उत्पादन पर जमा कर राषि रूपये 45,22,567.00 का 75: रूपये 33,91,925.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को षिथिल करते हुए, इकाई को वर्ष 2007–08 हेतु कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रमाणित, आई.टी.आर. के समायोजन के पश्चात् वास्तविक कर राषि रूपये 43,30,987.00 का 75: राषि रूपये 32,48,240.00 (रूपये बत्तीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ चालीस मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

14. एजेण्डा क्रमांक 8 :—मेसर्स एस.डी. बंसल आयरन एण्ड स्टील प्रा.िल., औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप का प्रथम क्लेम प्रकरण वर्ष 2008—09 प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 07.04.2008 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 12,40,29,233.00 मान्य की गई। वर्ष 2008—09 में उत्पादन हेतु जमा कर राषि रूपये 2,15,71,544.00 का 75 रूपये 1,61,78,658.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को षिथिल करते हुए इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रमाणित, आई.टी. आर. के समायोजन के पश्चात् वास्तविक कर राषि रूपये 1,31,80,704 का 75: राषि रूपये 98,85,528.00 (रूपये अन्डानवे लाख पिच्यासी हजार पांच सौ अट्डाईस मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

15. एजेण्डा क्रमांक 9:— मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लि0, बिरला ग्राम नागदा का द्वितीय क्लेम प्रकरण वर्ष 2007—08 प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.02.2007 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उज्जैन के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 8712.70 लाख मान्य की गई। वर्ष 2007—08 में उत्पादन हेतु आई.टी.आर. के समायोजन के पश्चात् विस्तारित क्षमता हेतु जमा कर राषि रूपये 2,29,66,695.00 का 75: रूपये 1,72,25,021. 00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2007—08 हेतु कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रमाणित, आई.टी.आर. के समायोजन के पश्चात् विस्तारित क्षमता हेतु वास्तविक कर राषि रूपये 2,28,53,545.00 का 75: राषि रूपये 1,71,40,159.00 (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ उन्सट मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

16. एजेण्डा क्रमांक 10 — मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. के क्लेम प्रकरण वर्ष 2008—09 के संबंध में समिति के निर्णय दिनांक 27.10.2009 के परिप्रेक्ष्य में एमपी स्टेट को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेषन लि., भोपाल के अभिमत पर चर्चा :— समिति द्वारा मध्यप्रदेष स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेषन लि., भोपाल एवं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल से इकाई के मूल उत्पाद एवं डायवर्सिफाइड उत्पाद समान हैं अथवा एक दूसरे से भिन्न हैं, इस संबंध में प्राप्त अभिमत पर चर्चा उपरान्त बटर ऑयल / ए.एम.एफ., लेचीथिनेटेड इन्स्टेन्ट एफसीएमपी, चीज एवं अल्ट्रा हीट ट्रीटेंड मिल्क पूर्व स्थापित उत्पाद से भिन्न होने पर योजनान्तर्गत डायवर्सिफाइड उत्पाद हेतु पात्र मान्य किए गए।

महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 16,75,83,617.00 मान्य की गई। इकाई का विस्तार/डायवर्सिफिकेषन अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 19.03.2009 है। महाप्रबन्धक द्वारा डायवर्सिफाइड उत्पाद हेतु जमा कर रूपये 2,45,095.00 का 75: रूपये 1,84,428.00 की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचार उपरान्त इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु मान्य डायवर्सिफाइड उत्पाद पर जमा कर राषि रूपये 47,315.00 का 75: रूपये 35,486.00 (रूपये पैंतीस हजार चार सौ छियासी मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई ।

(प्रवीण गर्ग) प्रबंध संचालक

म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय निवेष संवर्धन साधिकार समिति (सत्यप्रकाष) प्रमुख सचिव मध्य प्रदेष शासन

मध्य प्रदेष शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय निवेष संवर्धन साधिकार समिति

## परिशिष्ट

## राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 30/03/2010 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

\_\_\_\_\_

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 30/03/2010 को श्री सत्यप्रकाश, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

## उपस्थित सदस्य :-

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री शैलेन्द्र सिंह	आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर
2	श्री अरूण तिवारी	सचिव, वित्त विभाग
सदस्य सचिव :		
3	श्री प्रवीण गर्ग	प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी एवं एम. पी. ट्रायफेक
अन्य उपस्थित अधिकारी :		
4	श्री ए.के. नायक	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल
5	श्री व्ही.के. बरोनिया	कार्यकारी संचालक, एम.पी. ट्रायफेक
6	श्री एच.पी. शर्मा,	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, इन्दौर